न्यायालय : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विदिशा म0प्र0

जमानत आवेदन क्रमांक 438 / 2026
CNR No. MP400100-2934-2026
Filling No. 2541/2026

शशांक भार्गव पुत्र श्रीकृष्ण भार्गव उम्र
69 वर्ष जाति ब्राहमण धंधा व्यापार निवासी
सागर रोड सिविल लाइन विदिशा
.....आवेदक

बनाम

म0प्र0शासन जर्ये थाना सिविल लाइन
विदिशा म0प्र0 .....अनावेदक

(प्रतिलिपि आदेश दिनांक 08.05.2026)

08-05-2026 माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, विदिशा के न्यायालय से जमानत आवेदन पत्र क्रमांक–438 / 2026, शशांक भार्गव वि0 शासन एवं साथ ही आरक्षी केंद्र सिविल लाइन, जिला विदिशा के अपराध क्रमांक–312 / 2026 की केस डायरी मय प्रतिवेदन सहित अंतरण पर प्राप्त।

जमानत आवेदन पत्र	बी.ए. 438 / 2026
जमानत आवेदन संस्थित दि.	06.05.2026
अपराध की दिनांक	27.04.2026
अपराध क्रमांक	312 / 2026
धारा	धारा–108 बीएनएस
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की दि.	27.04.2026
पुलिस आरक्षी केंद्र	देहात विदिशा, जिला विदिशा (म0प्र0)
गिरफ्तारी दिनांक	निल
न्यायिक अभिरक्षा	निल
अनुसंधान की स्थिति	अपूर्ण
अभियोग पत्र प्रस्तुति दि.	निल

आपराधिक रिकॉर्ड	1. कोतवाली 399/20 धारा 354–क, 354–ए (1) (iv) 294, 506 बी भादवि 2. कोतवाली 400/23 धारा 294, 504 भादवि 3. कोतवाली 402/20 धारा 269, 270,188 भादवि 4. कोतवाली 459/20 धारा 188 भादवि 5. कोतवाली 350/21 धारा आपदा प्रबंधन 6. कोतवाली 162/20 धारा आपदा प्रबंधन 7. सिविल लाइन 350/21 धारा 188, 505 (1) भादवि 8. कोतवाली 386/21 धारा 188, 269, 270, 51 आपदा प्रबंधन

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री ओ0पी0दुबे, अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक राज्य की ओर से श्री धूपसिंह तोमर, ए0जी0पी0 उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–482 बी.एन.एस.एस. पर तर्क हेतु नियत है।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध पुलिस थाना सिविल लाइन विदिशा में धारा–108 बीएनएस का अपराध अवैधानिक रूप से पंजीबद्ध कर लिया है उक्त अपराध में आवेदक को उसकी गिरफ्तारी की युक्तियुक्त आशंका है। आवेदक के विरूद्ध प्रथम दृष्टि में ऐसा कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है जिससे उसे दोषी माना जा सके, अभियोजन कहानी को जैसा का तैसा सही मान लेने पर आवेदक के विरूद्ध प्रथम दृष्टि में धारा 108 बीएनएस का अपराध नहीं बनता है। पुलिस द्वारा मृतक के जो तीन कथित ऑडियो वीडियो रिकार्डिंग के बयान सोशन मीडिया के आधार पर अथवा मृतक के मोबाइल के आधार पर प्रकरण बनाया है उपरोक्त ऑडियो वीडियो रिकाडिंग के आधार पर आवेदक के विरूद्ध धारा 108 बीएनएस का मामला नहीं बनता तथा उससे आरोपी के द्वारा मृतक को किसी प्रकार का अबेटमेन्ट अथवा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण किया जा रहा था, ऐसा भी प्रकट नहीं होता है। उक्त वीडियो रिकाडिंग अथवा मोबाइल की जांच फोरेंसिक लेब से नहीं हो जाती तब तक उसे सही होना नहीं माना जाता। मात्र एफ0आई0आर0 दर्ज करने से आवेदक दोषी नहीं हो जाता है।

आवेदन में यह भी लेख किया है कि प्रकरण में धारा 45 बी एन एस एस के अनुसार कोई दुष्प्रेरण के संबंध में कोई घटक मौजूद है मृत्यु से ठीक पहले अथवा कुछ दिन पहले आरोपी द्वारा मृतक को

धमकाया अथवा किसी प्रकार का बल प्रयोग करना, शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से दिया जा रहा था इस संबंध में कोई वैधानिक साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है। मृतक द्वारा कथित ऑडियो वीडियो में आवेदक का नाम नहीं लिया न ही उसके द्वारा ऐसा कहा जा रहा कि आरोपी के प्रताडनाओं से कारण वह आत्महत्या कर रहा है। मृतक को रेल से टकराते हुए किसी ने नहीं देखा। यह भी संभव है कि मृतक दुर्घटना के फलस्वरूप पटरी पार करते समय रेल से टकरा गया हो। कथित घटना के समय आवेदक घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।

आवेदन में यह भी लेख किया है कि मृतक ने आवेदक से रूपया लेकर कुछ महिने पूर्व उसके मकान का बयनामा करवाने बाबत सब रजिस्ट्रार विदिशा के समक्ष एग्रीमेन्ट किया था उस तथ्य से मात्र आवेदक दोषी नहीं हो जाता है और न ही दुष्प्रेरण के संबंध में कोई मामला आवेदक के विरूद्ध बनता है। कोई व्यक्ति रूपया देकर अनुबंध अनुबंधकर्ता से करवाता है एवं ऐसा अनुबंधकर्ता अनुबंध का पालन करवाने के लिए कोई लीगल नोटिस अधिवक्ता के माध्यम से दिलवाता है एवं विधिक प्रक्रिया अनुबंध पत्र का पालन करवाने के लिए अनुबंधकर्ता को सूचित करता है तो उक्त कृत्य को दुष्प्रेरण के समकक्ष नहीं माना जा सकता। आवेदक विदिशा जिले का प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर इज्जतदार व्यक्ति है उसके भागने अथवा साक्ष्य नष्ट करने की संभावना नहीं है। प्रकरण में आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान नहीं है।

प्रार्थी का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन है, इस आवेदन के पूर्व ना तो कोई आवेदन माननीय न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया और ना ही खारिज हुआ है और ना ही गतिशील है। अतः आवेदन स्वीकार कर अग्रिम जमानत का आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में आवेदक के पुत्र सुयंश भार्गव पुत्र श्री शशांक भार्गव उम्र 39 वर्ष धंधा व्यापार निवासी सागर रोड सिविल लाइन विदिशा का शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसके खण्डन में कोई भी तथ्य अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे आवेदक का प्रथम दृष्टया धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र होना एवं किसी अन्य न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन पत्र लंबित होना प्रकट नहीं होता है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से तर्क किया हैं कि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है तथा उसे असत्य

आधारों पर संलिप्त किया गया है। अतः उक्त आधार पर अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है।

अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन पर विरोध करते हुये जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

पुलिस थाना सिविल लाइन विदिशा से प्राप्त केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि, दिनांक 27.04.2026 को सूचनाकर्ता दीपक पुत्र गोविन्द सिंह गुर्जर उम्र 23 वर्ष निवासी बेहलोट विदिशा द्वारा इस आशय की सूचना दी गई कि वह मेहनत मजदूरी करता है दिनांक 27.04.2026 को सुबह 08:00 बजे उसके पिता गोविन्द सिंह गुर्जर घर से काम करने की कहकर निकले थे वह अपने घर पर था, दोपहर करीबन 01:00 बजे उसे गुरूभाई छोटू उर्फ कमल कुशवाह ने मोबाइल फोन से बताया कि उसके पास रेलवे गैंगमेन का फोन आया है कि एक व्यक्ति का शव मिडिल लाइन व दांये बांये पडा हुआ है जिसका सिर मिडिल लाइन के मध्य पडा है जो मृत हो चुका है। यह बात सुनकर वह अपने पापा की तलाश में निकला था कि पुलिस से भी सूचना मिल गयी थी पीपल वाली पुलिया के पास रेलवे ट्रेक के पास आया तो देखा कि उसके पिताजी का शव क्षतिग्रस्त हालत में पडा है। उक्त सूचना पर मर्ग क्रमांक 52/2026 धारा 194 बीएनएसएस का पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।

जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर फोटोग्राफ लिये गये मृतक गोविन्द गुर्जर का पोस्टमार्टम कराया गया। जिसमें मृतक की मृत्यु रेल दुर्घटना से होना बताया गया संभवतः मृतक द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या किया जाना पाया गया। घ टना के बाद मृतक का स्वयं द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें मृतक द्वारा बताया गया कि वह आवेदक शंशाक भार्गव की ग्राम बेहलोट स्थित खेती को बटिया से रखता था, आवेदक बटिया के रूपया नहीं दे रहे है वीडियो में ही मृतक द्वारा कहना है कि उसे एक रिवाल्वर देकर विदिशा के दो जनप्रतिनिधियों को मार के आ, तब गोविन्द सिंह तेरे पैसे तुझे दूंगा। वीडियों में मृतक द्वारा कहा गया कि उसने शशांक भार्गव को मना करते हुए रिवाल्वर जसवंत सिंह कुशवाह को दे दी। शशांक भार्गव के गुण्डे राकेश कुशवाह, बृजेश कुशवाह, दुर्गेश कुशवाह, नारायण सिंह कुशवाह, बाबुलाल कुशवाह, जितेन्द्र कुशवाह, हरभजन सिंह कुशवाह उसे मारते पीटते हैं, शशांक भार्गव उसे कभी भी मरवा देंगे इत्यादि।

उक्त वायरल वीडियों को देखा जाकर पंचनामा बनाया गया व वीडियों को पेनड्राइव में जप्त किया गया। मृतक के मृत्यु पूर्व बाइरल वीडियों एंव घटना की सत्यता ज्ञात करते हुए वीडियों में बताये गये व्यक्तियों की सीडीआर व टावर लोकेशन प्राप्त की जाकर विश्लेषण किया गया तथा उनके कथन लेख किये गये। उक्त व्यक्तियों की उपस्थिति वक्त घटनास्थल पर होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई। मर्ग प्रकरण में मृतक गोविन्द सिंह के मोबाइल नम्बर की सीडीआर वक्त घटना व पूर्व की प्राप्त की जाकर विश्लेषण किये जाने पर मृतक द्वारा शुभम राय, आदर्श तिवारी, मुकेश कुशवाह, वीरसिंह, इन्द्राज सिंह, रंधीर सिंह, सचिन चिढार, इन्दरसिंह कुशवाह, मोहन सिंह कुशवाह, व अंतिम बार जितेन्द्र कुशवाह निवासी ग्राम बेहलोट के मोबाइल नम्बर पर बातचीत होना पाया गया।

उक्त मोबाइल पर मृतक की हुई चर्चा के संबंध में पृथक–2 ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर संबंधित मोबाइल धारकों से प्रमाणिकरण प्राप्त किये जाने पर सभी के द्वारा बातचीत में मृतक की आवाज होने की पुष्टि की व अपने–2 कथनों में मृतक का 8–10 सालों से शशांक भार्गव के यहां हरवाई करना व शशांक भार्गव के द्वारा 8–10 माह पहले काम से निकाल देना व मृतक द्वारा उन्हें बताना कि शशांक भार्गव को नौ लाख रूपए देना है, भार्गव 9,60,000/– मांग रहे है जो उसके देने की बसकी नहीं हे तथा उसने मकान की लिखापढी भार्गव साहब के नाम कर दी है। शशांक भार्गव ने 30 अप्रैल 26 की तारीख दी है और उसमें 60,000/–देकर रजिस्ट्री कराने की कह रहे है। साक्षी जितेन्द्र कुशवाह के द्वारा यह बताया गया कि 27.04.26 को 10 बजे गोविन्द ने फोन करके उसे बताया कि शशांक भार्गव पहले 9 लाख रूपए देने की कह रहे थे अब उसके उपर एक करोड की चोरी लगा रहे हैं और वह यह कहने लगा कि उसका जीने से कोई मतलब नहीं है और उसने शशांक भार्गव की नजरो में बहुत बुरे कर्म करे हैं और गोविन्द कहने लगा कि वह आत्महत्या करेगा। तब जितेन्द्र ने उससे कहा कि ऐसा नहीं करना तथा यह भी कहा कि गांव आ जाओ तो गोविन्द ने मना किया और जय बोला कि जय भवानी और थोडा ट्रेन की आवाज आई इसके बाद आवाज नहीं आई।

अभियोजन मामले के अनुसार मर्ग प्रकरण में मृतक गोविन्द सिंह की घटना के पूर्व अंतिम बार मोबाइल पर साक्षी जितेन्द्र कुशवहा से बातचीत हुई थी जिसके कथनों से स्पष्ट होता है कि मृतक व शशांक भार्गव के मध्य पैसों का लेन देन था तथा उक्त

लेने देने के संबंध में शशांक भार्गव मृतक पर अनावश्यक दबाव बना रहा था इस कारण ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है तथा मर्ग प्रकरण में मृतक के पुत्र दीपक, भूपेन्द्र एवं पुत्री सिमरन व चाचा लक्ष्मण के द्वारा भी पैसे से लेन देने पर से आरोपी द्वारा मृतक को नौकरी से हटाना तथा पैसे के लिए मानसिक रूप से प्रताडित करना बताया गया।

अभियोजन मामले के अनुसार अभी तक की जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक करीबन 10–15 साल से शशांक भार्गव के यहां हरवाई का काम करता था तथा शशांक भार्गव की कृषि भूमि को संभालता था तथा दोनों के मध्य रूपयों के लेन देन के चलते मृतक को 10–11 माह पूर्व नौकरी से हटा दिया था और मृतक के मकान का भी अनुबंध कर लिया था तथा मृतक को पैसे देने हेतु लगातार मानसिक रूप से दबाव बनाकर प्रताडित किया जा रहा था जिससे परेशान होकर मृतक द्वारा दिनांक 27.04. 20206 को ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली है। उक्त मर्ग जांच पर से थाना देहात विदिशा द्वारा अपराध क्रमांक 312/2026 धारा 108 बीएनएस आवेदक के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

अभियोजन की ओर से इस आधार पर जमानत का विरोध किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध पूर्व से ही अनेक प्रकरण पंजीबद्ध हैं तथा वह आपराधिक पृष्ठभूमि का है तथा उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने पर उसके फरार होने की पूर्ण संभावना है तथा अनुसंधान में अभी और साक्ष्य एकत्रित किया जाना है।

आवेदक की ओर से न्याय दृष्टांत **संजू उर्फ संजय सेंगर वि0 म0प्र0राज्य 2002(5) एस.सी.सी. 371 एवं नेताई दत्ता वि0 बेस्अ बंगाल 2005(2) एस.सी.सी.659** पेश कर निवेदन किया गया उसके द्वारा कोई बिलफुल एक्ट और ओमीशन इनटेंशनली नहीं किया गया है न ही उसे किसी प्रकार का दुष्प्रेरण आत्महत्या के लिए किया गया है। इसी प्रकार न्याय दृष्टांत **किशोरीलाल वि0 स्टेट आफ एम.पी. 2007(10) एस.सी.सी.797** पेश कर आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि आवेदक पर मृतक को पैसों के विवाद को लेकर प्रताडित करने, जिसके परिणामस्वरूप मृतक द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर लेने के कारण मृतक को आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने का अभियोग लगाया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभी अनुसंधान जारी है तथा अनुसंधान में आवेदक की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता है। जहां तक बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों का संबंध है तो उक्त न्याय दृष्टांत जमानत के संबंध में कोई न्यायमत देते हो ऐसा परिलक्षित नहीं होता है। तब माननीय न्यायालयों के उक्त न्याय दृष्टांतों एवं हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों तथा प्रकरण की इस स्टेज को देखते हुए इस न्यायालय के विनम्र मत में माननीय न्यायालय के उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के आधार पर ही जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आरोपित अपराध की प्रकृति, अनुसंधान में अभियुक्त की आवश्यकता उसके पूर्व के आपराधिक रिकार्ड, अनुसंधान के दौरान अभी तक एकत्रित की गई साक्ष्य आदि समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. **निरस्त** किया जाता है ।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापस प्रेषित की जाये।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज कर प्रकरण को समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

KANCHAN SAXENA

Digitally signed by KANCHAN SAXENA
Date: 2026.05.08 19:40:10 +0530

(कंचन सक्सैना)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0